(c) the action Government have taken or propose to take thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir. A meeting with the Cable Operators was held on 28th July, 1994 with the Director General Doordarshan.

(b) At this meeting the restructured format of Doordarshan Regional Satellite Channels and DD-2 from 15th August, 1994 on C-Band Transponder and S-Band Transponder of INSAT-2B was discussed. The feasibility of Doordarshan starting a Hindi Movie Pay Channel and its distribution by the Cable Operators was also discussed.

(c) The Doordarshan Regional Language Satellite Channel and DD-2 have been restructured from 15th August, 1994. For the Movie Pay Channel a feasibility study is being conducted.

सेंसर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति

993. श्री गोपाल सिंह जो० सोलंकी :
श्री टी. वेंकटराम रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई स्थित राष्ट्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है :

(ग) सरकार को उक्त बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में अभी तक किन-किन संसद सदस्यों से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों पर कुल कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, लेखकों, गृहणियों, व्यापारियों आदि जो केन्द्रीय सरकार की राय में आम दर्शकों पर फिल्मों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए योग्य होते हैं, को बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख) श्री शक्ति सामंत को 4.9.92 से तीन वर्ष के लिए अवैतनिक आधार पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड के अन्य सदस्यों को 7.10.91 को नियुक्त किया गया था। बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी कार्यवाही पहले ही आरंभ कर दी गई है।

(ग) से (ङ) बोर्ड में व्यक्तियों के नामांकन हेतु समय-समय पर माननीय संसद सदस्यों सहित विभिन्न स्रोतों से काफी सिफारिशें प्राप्त होती हैं। बोर्ड का पुनर्गठन करते समय इन सभी सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। तथापि, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र

994. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कम शक्ति वाले और उच्च शक्ति वाले कितने ट्रांसमीटर और आकाशवाणी केन्द्र हैं ;

(ख) क्या सरकार आगामी वर्षों में उपरोक्त राज्य में ऐसे और अधिक दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो राज्य में किन-किन स्थानों पर प्रस्तावित केन्द्रों के स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) 31 अक्तूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 6 उच्च शक्ति, 51 अल्प शक्ति एवं 1 अति अल्प शक्ति टेलीविजन ट्रांसमीटर, 1 टेलीविजन ट्रांसपोटर और 19 आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण में दिए अनुसार **(नीचे देखिए)**।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां मध्य प्रदेश राज्य में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है।

दूरदर्शन :

उ.शा.ट्रां.	अम्बिकापुर	
	शहडोल	
	गुना	
	सागर	
अ.श.ट्रांस.	सिरोंज	गदरवारा
	कुक्षेश्वर	अशोकनगर
	खोराई	मेहर
	बिजाएपुर	लहर
	भंडेर	केराराम
	सक्ति	बड़ा मल्हेरा
	सीतामऊ	गरोट
	सारंगढ़	राधोगढ़
	पिपरिया	खरोड
	नरायणगढ़	भानपुरा
अ.अ.श.ट्रांस	सिंगरौली	कोंडा गांव
	बुधानी	जशपुर नगर
	पखन्जोर	डायमंड खान परियोजा
	पेन्डरा रोड	कोयली बेडा
	मोडकपल	बीजापुर

आकाशवाणी

सरायपल्ली

मांडला।